राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक प0 12(7) राज/वाद/24 पार्ट जयपुर दिनांक 10/10/2025

:: आदेश ::

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.07.2025 व 03.10.2025 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ में राज्य सरकार की ओर से सिविल प्रकरणों में पैरवी/प्रतिनिधित्व किये जाने हेतु अतिरिक्त महाधिवक्तागण/गवर्नमेंट काउंसिल्स को विभागों का आवंटन किया गया था।

उक्त आदेश दिनांक 28.07.2025 व 03.10.2025 की निरंतरता में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पैरवी/प्रतिनिधित्व किये जाने हेतु नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता के पूल में कार्यरत असिस्टेंट गवर्नमेंट काउंसिल्स को संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता के निर्देशन में राजकार्य सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाता है। असिस्टेंट गवर्नमेंट काउंसिल्स को रिटेनरशिप का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में उनकी उपस्थिति का प्रमाणिकरण संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा किया जायेगा।

ह0
(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
3. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राज0, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता मय अति0 महाधिवक्तागण/प्रशासक वादकरण/गवर्नमेंट काउन्सिल, जोधपुर/जयपुर।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण विभाग।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

10/10/25
(सुरेश चंद बंसल)
शासन सचिव,विधि